रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478] नई दिल्ली, बुधवार, अक्तूबर 31, 2007/कार्तिक 9, 1929
No. 478] NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 31, 2007/KARTIKA 9, 1929

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अक्तूबर, 2007

सा.का.नि. 686(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (चौथा संशोधन) नियम, 2007 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. नोटरी नियम, 1956 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 8क के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"8ख. व्यवसाय के प्रमाणपत्र का नवीकरण—नियम 8 के उप-नियम (4) के अधीन जारी किए गए व्यवसाय के प्रमाण-पत्र का, विहित फीस के संदाय पर पांच वर्ष की और अवधि के लिए नवीकरण किया जा सकेगा। व्यवसाय के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए कोई आवेदन समुचित सरकार को उसकी विधिमान्यता की अवधि के अवसान की तारीख से तीन मास पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा :

परंतु समुचित सरकार, आवेदन में कथित कारणों पर विचार करने के पश्चात् उपर्युक्त विनिर्दिष्ट अवधि से पूर्व व्यवसाय के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने की शर्त को शिथिल कर सकेगी।"।

3. उक्त नियम की अनुसूची में, स्तम्भ (1) में,—

(i) "चंडीगढ़" से संबंधित क्रम संख्यांक 35 के सामने स्तम्भ (2) में, "38" अंक के स्थान पर "57" अंक रखा जाएगा।

(ii) "केरल और कर्नाटक" से संबंधित क्रम संख्यांक 5 और 9 के सामने स्तम्भ (3) में, "563 और 675" अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमश: "845 और 1013" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. (271)/2000-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मुख्य नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में सं. का.नि.आ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्वर्ती संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई, 2001, सा.का.नि. 460(अ), तारीख

25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007 द्वारा किए गए ।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st October, 2007

G.S.R. 686(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Fourth Amendment) Rules, 2007.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Notaries Rules, 1956 (hereinafter referred to as the said rules), after rule 8A, the following rules shall be inserted, namely :—

"8B. Renewal of Certificate of Practice.—The certificate of practice issued under sub-rule (4) of rule 8 may be renewed for a further period of five years on payment of prescribed fee. An application for renewal of Certificate of Practice shall be submitted to the appropriate Government before three months from the date of expiry of its period of validity :

Provided that the appropriate Government may, after considering the reasons stated in the application, relax the condition of submission of application for renewal of certificate of practice before the above specified period.".

3. In the Schedule to the said rules, in column (1),—

(i) against serial number 35 relating to 'Chandigarh', in column (2), for the figure "38", the figure "57" shall be substituted.

(ii) against serial number 5 and 9 relating to 'Kerala and Karnataka', in column (3), for the figures "563 and 675", the figures "845 and 1013" shall respectively be substituted.

[F. No. (271)/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

Note : The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number SRO 324, dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by GSR 370(E), dated the 8th July, 1997, GSR 547(E), dated the 31st August, 1998, GSR 17(E), dated the 5th January, 2000, GSR 262(E), dated the 28th March, 2000, GSR 630(E), dated the 21st July, 2000, GSR 172(E), dated the 12th March, 2001, GSR 330(E), dated the 9th May, 2001 GSR 460(E), dated the 25th June, 2001 GSR 464(E), dated the 9th June, 2003, GSR 464(E), dated the 9th June, 2003, GSR 296(E), dated the 19th May, 2006, GSR 501(E), dated the 24th August, 2006, GSR 73(E), dated the 9th February, 2007, GSR 86(E), dated the 14th February, 2007 and GSR 319(E), dated the 1st May, 2007 read with GSR 330(E), dated the 8th May, 2007.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.